

राजस्थान सरकार
मंत्रीमण्डल सचिवालय

क्रमांक : प. 11(1)मम/2016

जयपुर, दिनांक: 12.02.2016


:: आज्ञा ::

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 4.2.2016 के अतिक्रमण में श्री चन्द्र प्रकाश टायसन, उपाध्यक्ष, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग को उप मंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राज्यपाल महोदय की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री टायसन को उप मंत्री स्तर के रूप में इस सचिवालय की आज्ञा संख्या प. 11(1)मम/99 दिनांक 30.11.2012 द्वारा प्रदत्त सुविधाएं देय होंगी। यह सुविधायें श्री टायसन को उनके कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगी।

श्री टायसन, उपाध्यक्ष, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग को प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला समस्त व्यय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अनीत कुमार सिंह)
अति0 मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल।
2. सचिव, मुख्यमंत्री
3. विशिष्ट सहायक/ निजी सचिव, मंत्रीमण/ राज्य मंत्रीमण।
4. अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
5. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ शासन विशिष्ट सचिव।
7. मुख्य सचिव, निर्वाचन अधिकारी एवं प्रमुख शासन सचिव, निर्वाचन विभाग।
8. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग।
9. अध्यक्ष/ प्रबन्ध निदेशक, समस्त निगम/बोर्ड
10. उपाध्यक्ष, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग/ प्र.शा.स., स्वायत्त शासन विभाग।
11. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त सम्भागीय आयुक्त/ जिला कलक्टर।
13. समस्त विभागाध्यक्ष
14. सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
16. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
17. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. कन्ट्रोलर, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर।
19. शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।


(हरी बाबू शर्मा)
सलाहकार

प्रतिलिपि निम्नांकित को अलग से प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निबंधक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर बेंच, जयपुर।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल/ कर बोर्ड, अजमेर।


सलाहकार

राजस्थान सरकार
मंत्रीमण्डल सचिवालय

क्रमांक : प. 11(1)मंमं/2016

जयपुर, दिनांक: 12.02.2016


:: आज्ञा ::

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 4.2.2016 के अतिक्रमण में श्री विवेक खोलिया, उपाध्यक्ष, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग को उप मंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राज्यपाल महोदय की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री खोलिया को उप मंत्री स्तर के रूप में इस सचिवालय की आज्ञा संख्या प. 11(1)मंमं/99 दिनांक 30.11.2012 द्वारा प्रदत्त सुविधाएं देय होंगी। यह सुविधायें श्री खोलिया को उनके कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगी।

श्री खोलिया, उपाध्यक्ष, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग को प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला समस्त व्यय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अजीत कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल।
2. सचिव, मुख्यमंत्री
3. विशिष्ट सहायक/ निजी सचिव, मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण।
4. अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
5. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ शासन विशिष्ट सचिव।
7. मुख्य सचिव, निर्वाचन अधिकारी एवं प्रमुख शासन सचिव, निर्वाचन विभाग।
8. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग।
9. अध्यक्ष/ प्रबन्ध निदेशक, समस्त निगम/बोर्ड
10. उपाध्यक्ष, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग/ प्र.शा.स., सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
11. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त सम्भागीय आयुक्त/ जिला कलक्टर।
13. समस्त विभागाध्यक्ष
14. सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
16. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
17. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. कन्ट्रोलर, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर।
19. शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।


(हरी बाबू शर्मा)
सलाहकार

प्रतिलिपि निम्नांकित को अलग से प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निबंधक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर बेंच, जयपुर।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल/ कर बोर्ड, अजमेर।


सलाहकार

राजस्थान सरकार
मंत्रीमण्डल सचिवालय

क्रमांक : प. 11(1)मंमं / 2016

जयपुर, दिनांक: 12.02.2016


:: आज्ञा ::

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 4.2.2016 के अतिक्रमण में श्री जितेन्द्र मीणा, उपाध्यक्ष, राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग को उप मंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राज्यपाल महोदय की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री मीणा को उप मंत्री स्तर के रूप में इस सचिवालय की आज्ञा संख्या प. 11(1)मंमं/99 दिनांक 30.11.2012 द्वारा प्रदत्त सुविधाएं देय होंगी। यह सुविधाये श्री मीणा को उनके कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगी।

श्री मीणा, उपाध्यक्ष, राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला समस्त व्यय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अजीत कुमार सिंह)
अति० मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल।
2. सचिव, मुख्यमंत्री
3. विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण।
4. अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
5. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / शासन विशिष्ट सचिव।
7. मुख्य सचिव, निर्वाचन अधिकारी एवं प्रमुख शासन सचिव, निर्वाचन विभाग।
8. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग।
9. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, समस्त निगम / बोर्ड
10. उपाध्यक्ष, राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग।
11. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त सम्भागीय आयुक्त / जिला कलक्टर।
13. समस्त विभागाध्यक्ष
14. सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
16. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
17. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. कन्ट्रोलर, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर।
19. शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।


(हरी बाबू शर्मा)
सलाहकार

प्रतिलिपि निम्नांकित को अलग से प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निबंधक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर बेंच, जयपुर।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल / कर बोर्ड, अजमेर।


सलाहकार